राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2667/2007

सुरेश कुमार जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट सचिव, गृह (ग्रुप–10) विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता तर्क है कि अपीलार्थी सहायक निदेशक अभियोजन के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2006 को सेवानिवृत्त हो गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 26.09.2006 (अनुलग्नक–2) के द्वारा वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को उप निदेशक अभियोजन के पद पर पदोन्नति प्रदान की। अपीलार्थी का आगे यह तर्क है कि प्रदान करने के पश्चात अपीलार्थी को पदोन्नति पद का लाभ प्रदान नहीं किया गया। उनका आगे तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिनांक 17.02.2007 के द्वारा यह आदेश दिया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2007 को हो गया और अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण नहीं किया। इस कारण से उक्त लाभ देय नहीं है। पदोन्नति का लाभ पद पर कार्यग्रहण करने के पश्चात ही प्रदान किया जाता है। ऐसे में अपीलार्थी को पदोन्नति पर कोई वित्तिय लाभ प्रदान नहीं हो सकते। इस अपील में आदेश दिनांक 17.02.2007 को चुनौती दी गई है।
2. हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी को पदोन्नति वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी को पदोन्नति पद पर लाभ देय होता है। अतः यदि पदोन्नति पद पर कोई लाभ देय नहीं है तो पदोन्नति का कोई मतलब नहीं रहेगा।
4. अतः अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2006 से पदोन्नति पद पर मानते हुए उन्हें सेवानिवृत्ति की दिनांक तक काल्पनिक लाभ प्रदान किये जावे तथा पेंशन रिवाइज कर समस्त एरियर का भुगतान 3 माह में किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)